न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/23/2024	2024/40	01.07.2024	13.05.2025

1. कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल जाति सोमवंशी निवासी लीली हाल लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0। ——अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दिनांक 13.05.2024 प्रकरण संख्या 02/24

उपस्थितः—
01.श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील अपीलाण्ट
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 13.05.2024 प्रकरण संख्या 02/2024 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

वकील अपी0 द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.1517 अपीलान्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जो काबिल काश्त है तथा चारागाह नहीं है। पटवारी रिपोर्ट तथ्यों व खिलाफ मौका है। अपीलान्ट दिनांक 18-06—2024 से दिनांक 23—06—2024 तक बुखार से पीडित होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। निर्णय दिनांक 13—05—2024 से 23—06—2024 तक का समय बुखार से पीडित होने से माफ किये जाने योग्य है तथा नकल प्राप्त होने से तथा जानकारी की तारीख से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है।

हाल खसरा नम्बर 1248 का साबिक खसरा नम्बर 1447 है जो आराजी ग्राम लक्ष्मनगढ में स्थित है, जो छोटी पटटी की भूमि है तथा अपीलान्ट के विनियमन योग्य भी है। अपीलान्ट का कब्जा पुराना है। विवादित आराजी अपीलान्ट के पूर्वजो की है जिसका वाद पत्र अपीलान्ट के पिता रामजीलाल के द्वारा प्रस्तुत हुआ है व तकासमे में अपीलान्ट को प्राप्त हुई है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मनगढ़ तहसील लक्ष्मनगढ का निर्णय दिनांक 13—05—2024 बाबत आराजी खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.1517 वाके ग्राम लक्ष्मनगढ निरस्त फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का लक्ष्मणगढ़ की संवत 2080 की रिपोर्ट दिनांक 19.01.2024 के अनुसार अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नं0 1248 रकबा 0.1517 है0 किस्म चारागाह में से 0.02 है0 रकबे पर गेहूं की फसल काश्त कर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। विवादित भूमि की किस्म चारागाह है। पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण से एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 13.05.2024 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 13.05.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)